जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर डीडवाना बंद रहा

जिला संघर्ष समिति ने किया था बंद का ऐलान, व्यापार मंडलों ने भी दिया डीडवाना बंद को समर्थन

डीडवाना, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा घोषित डीडवाना-कुचामन जिले का जिला मुख्यालय कहां होगा, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। जिला मुख्यालय की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से डीडवाना में संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। इसी आंदोलन के तहत गुरुवार को डीडवाना शहर में बाजार बंद करने का आव्हान किया गया, जिसको समस्त व्यापार मंडलों और सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया। जिससे डीडवाना बंद पूर्णतया सफल रहा।

बंद का इतना व्यापक असर रहा कि डीडवाना शहर के समस्त बाजार पूरी तरह से बंद रहे और थड़ी व ठेले भी पूरी तरह से बंद नजर आए। इस मौके पर डीडवाना जिला मुख्यालय की मांग पर बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम से रैली निकाली गई जो विभिन्न मार्गों से होती हुई कोर्ट परिसर पहुंची, जहां नवाघोषित जिले के ओएसडी को मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में संघर्ष समिति ने बताया कि डीडवाना जिले के सभी मापदंड और नियमों को पूरा करता है।

जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर डीडवाना में रैली निकाली।

डीडवाना तत्कालीन मारवाड़ राज्य का परगना रहा है। आजादी से पूर्व भी डीडवाना में जिला कलेक्टर के समक्ष सुपरिटेंडेंट का पद था। इसके अलावा 1996 से ही डीडवाना अतिरिक्त जिला मुख्यालय रहा है। डीडवाना में जिला स्तरीय सभी कार्यालय मौजूद है और अब केवल जिला कलेक्टर व एसपी के पदों की ही जरूरत है। उन्होंने बताया कि डीडवाना को जिला बनाने की मांग 4 दशक पुरानी है। तत्कालीन परमेश्वरचंद, सिंधु कमेटी के अलावा राजस्व मंडल व तत्कालीन नागौर जिला कलेक्टर भी डीडवाना को जिला बनाने की अनुशंसा कर चुके हैं।

ज्ञापन में संघर्ष समिति ने बताया कि डीडवाना का प्रशासनिक ढांचा बेहद मजबूत है और सड़क व रेल मार्गों से भी डीडवाना के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। डीडवाना की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, संसाधन व उपलब्ध कार्यालय जिला बनाने के उपयुक्त है। लेकिन मुख्यमंत्री ने डीडवाना-कुचामन के नाम से नए जिले की घोषणा की है, लेकिन जिला मुख्यालय कहां होगा, इस पर अभी असमंजस बरकरार है। इसलिए डीडवाना में उपलब्ध कार्यालयों, संसाधनों, सुविधाओं और लोगों की मांग व भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डीडवाना को ही जिला मुख्यालय बनाया जाना चाहिए।

- **डीडवाना के सभी बाजार रहे बंद, ठेले, थड़ियां भी बंद रहे, जिला मुख्यालय के समर्थन में निकाली रैली**
- **नव घोषित डीडवाना-कुचामन जिले का जिला मुख्यालय डीडवाना रखने की मांग को लेकर आंदोलन जारी**

पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, आंगन में शव को गाड़ा

मामला रफा-दफा करने को पंचायत में 20 लाख का ऑफर दिया

कामां, (निस)। दंपती के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बारे में किसी को पता नहीं चले, इसके लिए उसके शव को नहलाया और कपड़े जमीन में दफना कर लाश को छिपा दिया। मामला भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के इखनाका गांव में बुधवार रात 9 बजे का है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शहनाज और वाहिद के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। इसी पारिवारिक विवाद में उसकी जान चली गई। थाना अधिकारी शिवलहरी ने बताया कि वाहिद (35) किराए पर बोलेरो चलाता है। बुधवार रात को वह गाड़ी लेकर 8 बजे अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचा तब तक उसके तीनों बच्चे सो चुके थे। इसी बीच पत्नी शहनाज (30) के साथ उसका झगड़ा

- **प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों में झगड़ा चल रहा था**

हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वाहिद गुस्से में कमरे में रखा देसी कट्टा निकाल लाया और शहनाज के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही उसकी मौत हो गई। इधर फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसियों को शक हुआ तो उसके घर पहुंचे। लेकिन उसने फायरिंग के लिए मना कर दिया। इसके बाद पत्नी की लाश को नहलाया, उसके खून से सने कपड़े बदलकर घर में दफना दिए और एक कपड़े में लाश को बांधकर चारपाई के नीचे छिपा दिया।

थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस को गुरुवार सुबह इसकी जानकारी मिली। मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों की भीड़ लगी थी। ग्रामीणों से पूछताछ की तो पता चला कि पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनी तो पता चला कि वाहिद ने शहनाज की हत्या कर दी है। शहनाज के घरवालों को सूचना दी गई और पंचायत बुलाई गई।

पंचायत में इस मामले को रफा-दफा करने के लिए वाहिद ने शहनाज के घरवालों को 20 लाख रुपए तक देने का ऑफर किया, लेकिन वे नहीं माने। रातभर पंचायत में बात नहीं बनी तो सुबह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो वाहिद फरार हो चुका था। इसके बाद घर के आंगन को खोदा गया तो उसमें से खून से सने कपड़े मिले। शहनाज के परिजनों की रिपोर्ट पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बालिका का अपहरण करने वाले चार गिरफ्तार

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर में बालिका का अपहरण करने वाले चार जनों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा गुरुवार को कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि बालिका को शादी की नियत से अपहरण करने वाले मुख्य मुल्जिम सहित चार मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये अन्य की तलाश जारी है।

लड़की के अपहरण के बाद वायरल हुए विडियो में लड़की के पिता द्वारा पुलिस कांस्टेबल भगवानसिंह की सनलिप्तता बताये जाने के बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने का खुलासा किया गया। जानकारी के अनुसार एक जून को परिवादी द्वारा पुलिस थाना मोहनगढ़ में रिपोर्ट दी कि सुबह 9 बजे मेरी बहन व मेरी पत्नि घर से सौ मीटर दूरी पर स्थित टांके से पानी भरने के लिए गये तब विक्रमसिंह पुत्र भगवानसिंह, अभयसिंह पुत्र चुतरसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र सांवलसिंह राजपूत निवासी पूनमनगर व अन्य एक राय होकर एक सफेद कलर की बिना नम्बर वाली फोरच्युनर गाडी में मेरी बहन का अपहरण कर ले गये है। उक्त लोग मेरी बहन की शादी जबरदस्ती पुष्पेन्द्रसिंह के साथ करना चाहते हैं। रिपोर्ट पर

जैसलमेर पुलिस ने बालिका का अपहरण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया।

प्रकरण दर्ज कर अपर्हनकर्ता व मुल्जिमान की तलाश शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक द्वारा वृताधिकारी वृत नाचना कैलाश विश्नोई को मुल्जिमानों को अविलम्ब दस्तयाब करने के निर्देश दिए गए। निर्देशों की पालना में पुखाराम थानाधिकारी मोहनगढ़ के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन कर तलाश कर बालिका को दस्तयाब कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। अपहरण करने वाले मुख्य मुल्जिम पुष्पेन्द्रसिंह को गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

तीन बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया

अजमेर, (कासं)। अजमेर के मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम द्वारा शहर अजमेर में दो अलग-अलग प्रतिष्ठानों अलवरगेट चौराया अजमेर से एक रोटी बोटी ढाबा से एक बालश्रमिक में ख्वाजा गरीब नवाज ऑटो रिपेयर से दो बालश्रमिक को मुक्त करवाया गया।

अलवरगेट चौराहा के पास स्थित रोटी बोटी ढाबा से एक 16 वर्षीय व उसके पास ही स्थित ख्वाजा गरीब नवाज ऑटो रिपेयर से एक 15 वर्षीय व एक 16 वर्षीय बालक को बालश्रम करवाते हुए मुक्त करवाकर उनका रेस्क्यू कर उनके उचित पुनर्वास हेतु बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया व इन बालकों से बालश्रम करवाने वाले रोटी बोटी ढाबा के संचालक रिजवान व गरीब नवाज ऑटो रिपेयर के संचालक फिरोज काठात के खिलाफ पुलिस थाना अलवरगेट में मुकदमा दर्ज करवाया गया।

शराब मामले में निलंबित ए.एस.पी. दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी किए

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट जस्टिस नुपूर भाटी की अवकाशकालीन एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए।

जानकारी के अनुसार दो करोड़ रिश्वत मामले में निलंबित एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर के पास चिकलवास स्थित नेचर हिल्स एंड रिसोर्ट में 67 शराब बोटल मिली थी। इस पर आबकारी एक्ट में अंबामाता थाने में मामला दर्ज हुआ। इस एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लेकर 5 जून को याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई। दिव्या मित्तल की ओर से एडवोकेट नमन मोहनोत ने पक्ष रखा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रवण विश्नोई ने बहस के दौरान कई तर्क दिए, जबकि एडवोकेट मोहनोत ने बचाव में तर्क दिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस नूपुर भाटी ने कहा कि सिर्फ एफआईआर से आरोप तय नहीं किया जा सकता और गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी किए।

नशीली दवाओं से जुड़े मामले में एक दवा फर्म संचालक से 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के केस में निलंबित चल रही एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। जमानत पर बाहर आते ही एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। यहां से भी जमानत मिलने के बाद आबकारी मामले में गिरफ्तारी हो सकती थी। ऐसे में दिव्या के वकील ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका दायर की थी।

हत्याकांड का पर्दाफाश

करौली, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में जितेंद्र टटवाई हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मासलपुर थाना अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में गठित विशेष पुलिस टीम ने मासलपुर के टटवाई गांव में हुए हत्याकांड का 24 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि गठित पुलिस टीम द्वारा आरोपी देशराज पुत्र अमान जाटव निवासी छावर थाना मासलपुर को गिरफ्तार कर लिया है। मासलपुर थाना अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि गत दिन राशन के गेहूं वितरण को लेकर आरोपी देशराज का मृतक जितेंद्र सिंह से झगड़ा हो गया था जिसमें जितेंद्र सिंह की मौत हो गई थी।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा

पाटन, (निसं)। आनंद डिस्टिक गुजरात के प्रभारी रहे विजय माली ने आज दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय नीमकाथाना में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर ने विजय माली और उसकी टीम का माला, साफा व दुपट्टा पहना कर पार्टी में स्वागत किया।

विजय माली ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस में काम करते हुए महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी ने आमजन के साथ छलावा किया है। रिट में गड़बड़ी करके युवाओं का भविष्य, किसानों का कर्ज माफी का छलावा किया गया। उन्होंने आत्मग्लानी से भर कर कांग्रेस का साथ छोड़ा और प्रेम सिंह बाजोर के सेवा भाव से अभिभूत होकर भाजपा का दामन थाम लिया। विजय माली की टीम का पाटन प्रधान सुवालाल सैनी, महेंद्र गोयल, सुमित गुर्जर और मन्नालाल सैनी ने भी स्वागत किया। विजय माली के साथ जितेंद्र सैनी, संजू कुमार सैनी, संदीप सैनी, अंकित सैनी, टिंकू सैनी, सुभम सैनी, सतीश सैनी, श्याम सैनी, बजरंग सैनी, बल्ली सैनी, संजय, सुरेश, सुरेश कुमार सैनी, लक्की , महेश कुमार सैनी, राजेश सैनी, विक्रम सैनी, सचिन सैनी, रामधन सैनी, मोहित सैनी, मनोज सैनी, घनश्याम सैनी, विक्रम सैनी, रोशनलाल सैनी बूजा, गिरधारी सैनी, मनोज सैनी, सुनाराम सैनी, रामजीलाल सैनी, शिभू सैनी, रोहिताश सैनी, रोशन लाल सैनी बनियाला, गिरधारी लाल सैनी बनियाला सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं।

विजय माली सहित कार्यकर्ताओं का सम्मान करते पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर।

विस्फोटक सामग्री जब्त

पावटा, (निसं)। थाना प्रागपुरा पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 604 जिलेटिन छड, 500 फीट डेटोनेटिंग वायर, दो ट्रैक्टर मय ड्रील मशीन जप्त की है। जयपुर ग्रामीण पुलिस राजीव पचार ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली विद्याप्रकाश एवं वृत्त विराटनगर डीएसपी संजीव कुमार चौधरी के सुपरविजन में प्रागपुरा थाना प्रभारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। वहीं थाना स्तर पर गठित टीम द्वारा अवैध विस्फोटक सामग्री की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध खनन में उपयोग में ली जाने वाली अवैध विस्फोटक सामग्री जप्त कर मामला दर्ज किया।

चौकीदार की लाश मिली

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के सदर थाना क्षेत्र में सुखाड़िया नगर इलाक़े में चौकीदार की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सीओ सदर योगेश शर्मा ने बताया कि सुखाड़िया नगर में चौकीदारी करने वाले एक व्यक्ति की झोंपड़ी में लाश पड़ी होने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को वहां एक व्यक्ति का शव और भारी भरकम पत्थर मिला। इस पत्थर से चौकीदार की सीने पर वार कर हत्या करने की बात सामने आई है।

पुलिस ने शव की पहचान प्रतापगढ़ जिले के केलामेला गांव निवासी हकरू पुत्र फोजा निमामा के रूप में की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजी

मृतक चौकीदार।

अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि अभी तक कत्ल के कारणों व कातिल का पता नहीं चल पाया है। पुलिस वारदातस्थल और आसपास के लोगों से पूछताछ कर कातिल का सुराग तलाशने में जुटी है।

29 भेड़ों की मौत, 175 का इलाज जारी

नोखा, (निसं)। भीषण गर्मी के कारण पशु को भी जीना दूभर हो गया हैं। लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण पशुपालक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। नोखा प्रखंड के चनकी पंचायत के एघरा गांव में लू लगने से 29 भेड़ की मौत हो गई। वहीं 175 भेड़ का इलाज जारी है।

जानकारी देते हुए सोतवा पंचायत समिति सदस्य अजय पाल ने बताया कि एघरा गांव में लू लगने से मंगलवार को 29 भेड़ों की मौत हो गई, सभी भेड़ बीमार थे। इसकी सूचना पर स्थानीय पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी

- **जांच के दौरान लू लगने की बात बताई जा रही है**

दी गई। जिसके बाद इसकी सूचना नोखा पशुपालन विभाग को दी गई। जहां पर के पशुपालन विभाग के डॉक्टर के निर्देश पर पशुपालनकर्मी अभिनव कुमार गांव पहुंच कर भेड़ का इलाज शुरू किया। यहां पर जांच के दौरान लू लगने की बात बताई जा रही है।

लू लगने से राजेंद्र पाल की 29 भेड़ों की मौत हो गई। वहीं राजेन्द्र पाल ने बताया कि 175 भेड़ को इंजेक्शन दी गई। यहां पर लू से बचाव के लिए यह इलाज किया गया। यह सभी भेड़ राजेंद्र पाल के बताए जा रहे हैं। मौके पर पशुपालक राजेंद्र पाल, बीडीसी सोतवा पंचायत अजय पाल, अभिनव कुमार सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।

बाल कल्याण समिति चूरू के सदस्य पर नाबालिग बच्चियों ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप

चूरू, (कासं)। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर पर कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे और महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही मामला राजस्थान के चूरू में भी सामने आया है। जिसमें कांग्रेस सरकार कार्रवाई करने की बजाय आरोपी को बचाने में लगी हुई है।

बालिका आश्रय गृह चूरू की संचालक संस्था के सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल बाल अधिकारिता विभाग जयपुर के अधिकारियों द्वारा की गई एक मामले की जांच में सामने आया था कि बाल कल्याण समिति चूरू के सदस्य एडवोकेट मनोज सैनी ने एक बच्ची के साथ बंद कमरे में छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। इस जांच में विभागीय अधिकारियों ने जिस भी बच्ची से बातचीत की। उन सभी की सभी बच्चियों ने एडवोकेट मनोज सैनी पर डराने, धमकाने, मारपीट व पोक्सो के मामलों में आरोपियों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए। बावजूद इसके 13 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक एडवोकेट मनोज सैनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बाल अधिकारिता विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भी लिख दिया। लेकिन राजनैतिक पहुंच के चलते एक साल से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी एडवोकेट मनोज सैनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दरअसल पिछले साल अप्रेल माह में चूरू में बालिका आश्रय गृह चूरू के खिलाफ बाल कल्याण समिति चूरू और बाल कल्याण समिति झुंझुनूं की अध्यक्ष ने बाल अधिकारिता विभाग को लिखा था। जिसमें उन्होंने बालिका आश्रय गृह चूरू में बालिकाओं की सुरक्षा के खतरे का हवाला दिया था। जिस पर विभाग ने तुरंत बालिका आश्रय गृह चूरू की सभी चार बालिकाओं को बीकानेर बालिका आश्रय गृह में स्थानान्तरित कर दिया था। साथ ही बालिका आश्रय गृह चूरू की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। जिसमें बीकानेर की सहायक निदेशक कविता स्वामी व चूरू के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया समेत अन्य शामिल थे। इस कमेटी ने जब बीकानेर स्थानान्तरित की गई चूरू और झुंझुनूं जिले की चार बालिकाओं के अलावा एक अन्य बालिका से बालिका आश्रय गृह चूरू के बारे में जानकारी ली तो उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई।

मनोज सैनी।

बालिका आश्रय गृह चूरू से स्थानान्तरित करके बीकानेर भेजी गई चार की चार बालिकाओं ने टीम को अपने लिखित बयान दिए। उसमें से एक बालिका ने मनोज सैनी पर कमरा बंद कर गलत हरकत करने की कोशिश का आरोप लगाया, तो एक पोक्सो का मामला दर्ज करवाने वाली पीड़ित बालिका ने आरोप लगाया कि मनोज सैनी ने उसे जबरदस्ती आरोपियों से मिलवाने की कोशिश की। ताकि आरोपी पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव डाल सके। इसके अलावा दो बालिकाओं ने मनोज सैनी पर डराने, धमकाने और उसके कहे अनुसार ना चलने पर चूरू से बीकानेर या फिर जयपुर भेजने की

- **बाल अधिकारिता विभाग ने पदच्यूत (बर्खास्त) की फाइल सीएमओ भेजी, करीब छह महीने से नहीं मिली मंजूरी**

धमकी का आरोप लगाया।

दरअसल पिछले साल बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता को सूचना मिली थी कि बाल कल्याण समिति चूरू के सदस्य मनोज सैनी का चूरू में ही एक होटल चलता है। जहां पर बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। जिस पर पुलिस ने चाइल्ड लाइन की टीम के साथ छापा मारा तो एक बाल श्रमिक मिला। इस मामले में सीधे तौर पर मनोज सैनी के नाम से शिकायत थी और मौके पर बाल मजदूर मिला भी। फिर भी बाल कल्याण समिति चूरू की अध्यक्ष कमला देवी ने इस बाल मजदूर की सुनवाई का काम मनोज सैनी को दिया। जिसने कार्रवाई करने के बाद गुस्से में पुलिस और चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधियों से बदसलूकी की। इस मामले में हाल ही में एक जून 2023 को चूरू के महिला थाने में एक युवती ने भी पोक्सो के तहत मनोज सैनी पर मामला दर्ज कराया है।

एडवोकेट मनोज सैनी से जुड़ा मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। फरवरी 2023 में चले बजट सत्र में तत्कालीन उप नेता प्रतिपक्ष व वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगाया था। जिसके जवाब में विभाग ने जवाब दिया था कि जिला कलेक्टर चूरू द्वारा जो मनोज सैनी के खिलाफ जांच रिपोर्ट मिली है, वो परीक्षणाधीन है। इसी तरह चौमूं से विधायक रामलाल शर्मा ने भी इसी मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। जिसमें विभाग ने जवाब दिया था कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्रावली राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

इधर, मामले से जुड़े और बालिका आश्रय गृह चूरू की संचालक संस्था के सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि वे पिछले एक साल से मुख्यमंत्री, मंत्री, शासन सचिव, आयुक्त, कलेक्टर, एसपी, बाल कल्याण समितियों, बाल आयोग को पत्र लिखकर और व्यक्तिगत मिलकर कई बार गुहार लगा चुके हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब जब कार्रवाई की बात आती है। तब तब मनोज सैनी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ फोटो डालता है। साथ ही यह भी कहता है कि कांग्रेस सरकार मेरी है। सीएम से लेकर विधायक तक, सब मेरे है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मामले में राज्य सरकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के संशोधित नियम 2021 में 15 (4घ) में लिखा है कि यदि समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार आवश्यक जांच करेगी और दो माह की अवधि के भीतर जांच को पूरा करेगी और राज्य सरकार जांच के पूरा होने के एक माह के भीतर उचित कार्यवाही करेगी। जबकि विधानसभा में फरवरी 2022 में विभाग ने जवाब दिया है कि वह कार्यवाही के लिए सरकार को पत्रावली भेज चुकी है। जिसे अब तक चार माह हो गए है। कार्यवाही की डेडलाइन कानून में एक माह की है।

इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट किया है। जिसमें सीपी जोशी ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए लिखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पोक्सो एक्ट लगे आरोपी को क्यों बचा रहे है। इसी तरह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कितने और लज्जित होंगे हम। इस सरकार ने बेटियों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा।

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म

डूंगरपुर, (निसं)। रामसागडा थाना क्षेत्र में 10 वीं क्लास में पढने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को डरा धमका कर दर्रे में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थानाधिकारी ने बताया कि 16 साल की एक नाबालिग छात्रा की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। छात्रा ने बताया कि वह गांव के एक सरकारी स्कूल में 10 वीं क्लास में पढ़ती है। स्कूल में इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां हैं। 6 जून को शाम के समय वह किराणा का सामान लेने के लिए पैदल घर जा रही थी। उसी समय रास्ते में उसी के स्कूल में 10वीं क्लास में ही पढ ने वाला पडौसी गांव का युवक मिला। आरोपी उसे अपने साथ चलने का कहकर एक सुनसान दर्रे में ले गया। आरोपी युवक ने उसे डराया-धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। वहीं, नाबालिग छात्रा अपने घर गई। इसके बाद परिजनों को आपबीती सुनाई। घटना को लेकर परिजनों के साथ नाबालिग पीडिता थाने पहुंची। पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। थानाधिकारी ने बताया कि नाबालिग पीडिता के बयान लेकर उसकी मेडिकल जांच की जाएगी।